

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.

क./बोर्ड/यो./गैर.तक./31/2017-18/165

भोपाल, दिनांक 19/04/2017

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का आदेश क्रमांक/बी-6/नियमन/सहायता योजना/3674 दिनांक 27/09/2008 द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिये "मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008" दिनांक 27/09/2008 से प्रभावशील की गई है, एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड का आदेश क./बोर्ड/यो./गैर.तक./72/2014-15/3170 दिनांक 15/09/2014 द्वारा "मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 (संशोधित वर्ष 2014)" प्रभावशील है।

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक/1592/1778/15/26-2 दिनांक 01.12.2015 के आधार पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड का आदेश क./बोर्ड/यो./गैर.तक./72/2014-15/3170 दिनांक 15/09/2014 में आंशिक संशोधन करते हुए (योजना की कंडिका 09) में अन्त्येष्टि सहायता राशि रूपये 2000/- के स्थान पर राशि रूपये 3,000/- का प्रावधान किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।



(राकेश श्रीवास्तव)

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड


भोपाल

भोपाल, दिनांक 19/04/2017

क./बोर्ड/यो./गैर.तक./31/2017-18/166

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (1) विशेष सहायक, मान.मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल.
- (2) प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल।
- (3) प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- (4) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- (5) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- (6) आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल।
- (7) मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, 1250, तुलसी नगर, भोपाल.
- (8) कलेक्टर, जिला-.....म.प्र. (समस्त)
- (9) अपर संचालक(वित्त), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर आदेश में प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- (10) संयुक्त/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ मंडी समितियों में संशोधित आदेश का कियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (11) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि योजना का प्रचार प्रसार किया जावे एवं संशोधित आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।



प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल